न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री दिनेश चन्द जैन आई.ए.एस.

अपील :: 03/2018 ::

अपीलांट :–	बनाम	रेस्पोडेन्टगण:–
नेमाराम पुत्र गलाराम जाति घॉची निवासी गौशाला रोड़, नया बस स्टेण्ड, पाली (राज.)		1. श्रीमती गेरी बेवा श्री गलाराम जाति घॉची निवासी डेण्डा, हाल निवासी 15, जगदम्बा कॉलोनी, नया बस स्टेण्ड, पाली 2. मोडाराम पुत्र गलाराम जाति घॉची निवासी पंचम नगर, पाली (राज.)

अपील :: 08/2018 ::

अपीलांट :–	बनाम	रेस्पोडेन्टगण:–
मोडाराम पुत्र गलाराम जाति घॉची निवासी रामदेव रोड, पंचम नगर, पाली जिला पाली (राज.) पुलिस थाना कोतवाली, पाली		1. श्रीमती गेरी बेवा श्री गलाराम जाति घॉची निवासी डेण्डा, हाल निवासी 15, जगदम्बा कॉलोनी, नया बस स्टेण्ड, पाली जिला पाली (राज.) 2. नेमाराम पुत्र गलाराम जाति घॉची निवासी गौशाला रोड, नया बस स्टेण्ड, पाली जिला पाली (राज.) पुलिस थाना कोतवाली, पाली

जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत धारा 16 (1)माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007

उभयपक्ष में से श्री नेमाराम व श्री मोडाराम उपस्थित।

–: <u>आदेश</u> :–

दिनांक :– 30/7/19

अपीलांट श्री नेमाराम ने अपील संख्या 03/2018 एवं अपीलांट श्री मोडाराम ने अपील संख्या 08/2018 अर्न्तगत धारा 16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पाली के न्यायालय

जिला मजिस्ट्रेट, पाली

के प्रकरण संख्या 03/2018 बअनवान श्रीमती गेरी बनाम मोडाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 14.03.2018 के विरुद्ध पेश की गई हैं। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट जरिये सम्मन तथा मातहत अदालत से अपीलाधीन रेकार्ड तलब किया गया। दोनों पक्षो को सुना गया। दोनों ही अपील उपखण्ड अधिकारी, पाली के एक ही अनवान प्रकरण में पारित आदेश समान तथ्यों एवं समान धाराओं में होने से दोनों अपीलों को संयोजित कर बाद सुनवाई एक साथ निर्णय पारित किया जा रहा है।

अपीलाण्ट नेमाराम व मोडाराम ने अपनी अपीलों में सम्मान तथ्यों का उल्लेख करते हुए निवेदन किया कि मातहत अदालत द्वारा दोनों ही अपीलाण्टगण को 1500–1500 रूपये मासिक भरण पोषण हेतु भुगतान किए जाने का आदेश पारित किया, जबकि गैरीदेवी के तीन पुत्र है। मातहत अदालत ने तीसरे पुत्र केवलराम को अपनी माता के भरण पोषण हेतु मासिक भुगतान करने के आदेश नहीं दिए है, नहीं उनकी माता रेस्पोडेण्ट गैरीदेवी द्वारा उससे भरण पोषण की राशि चाही है। जबकि केवलराम ही गैरी देवी द्वारा सम्पती का उपयोग भी कर रहा है। भूमि की उपज गैरीदेवी उसे ही देती है। उसी ने अपीलाण्टगण की माता गैरी को सिखाकर व अनपढ़ से हस्ताक्षर करवा कर प्रकरण प्रस्तुत कराया है, जबकि अपीलाण्टगण उनकी माता को उनके घर ले जा कर सेवा चाकरी, भरणपोषण व सेवा करने के लिए तैयार है। केवलराम व उसकी पत्नी मोहिनी उनकी माता गैरीदेवी को अपने पास रख रहे है तथा उसे आने नहीं दे रहे है। गैरीदेवी के पास सोना–चांदी, गहने व रूपये भी है। उनके पैतृक गांव डेण्डा में मकान है। जिसका पट्टा भी गैरी देवी के नाम का ही बना हुआ है तथा उनकी भूमि की उपज भी गैरीदेवी ही लेती है तथा गैरीदेवी से केवलराम उपयोग में लेता है। उपरोक्त स्थिति के बावजूद भी श्रीमान उपखण्ड मजिस्ट्रेट पाली द्वारा तीन पुत्र होते हुए भी मात्र हम दोनों अपीलाण्ट नेमाराम व मोडाराम को 1500–1500 रूपये मासिक भुगतान के आदेश प्रदान किए है, जो निरस्त योग्य होने से खारिज किया जावे तथा हमारी माता गैरीदेवी की सेवा चाकरी, चिकित्सा तथा भरण पोषण इत्यादि करने के लिए हम तैयार है। ऐसी स्थिति में गैरीदेवी को हमारे घरों में साथ रहने हेतु पाबन्द करावें। जिससे हम भरण पोषण, सेवा चाकरी कर सकें।

रेस्पोडेण्ट गैरीदेवी कुछ तारीख पेशियों पर उपस्थित रही, उसके पश्चात रेस्पोडेण्ट के तीन पुत्र होने का पता चलने पर तथा तीसरे पुत्र के इस न्यायालय द्वारा तलब करने के आदेश दिनांक 02.07.2018 को दिए जाने के पश्चात से ही अनुपस्थित रही, इसलिए अपीलाण्टगण नेमाराम व मोडाराम को सुना गया।

जिला मजिस्ट्रेट, पाली

अपीलाण्टगण को व्यक्तिगत सुना गया। पत्रावली एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पाली की पत्रावली संख्या 03/2018 का अवलोकन किया गया। श्रीमती गैरी देवी 82 वर्ष की एक वृद्ध महिला है, उम्र के लिहाज से जो कमा कर नहीं खा सकती, साथ ही उसे देखभाल, चिकित्सा, सेवा चाकरी एवं भरण पोषण की आवश्यकता रहती है। जो अपीलाण्ट के कथनों के अनुसार ग्राम डेण्डा में मकान एवं 27 बीघा 12 बिस्वा भूमि से नहीं हो सकती क्योंकि भूमि तीन पुत्रों गैरीदेवी व उसकी एक पुत्री के नाम है, गैरीदेवी का उसमें मात्र 1/5 वां हिस्सा ही आता है तथा गैरीदेवी को व्यक्तिगत सेवा, देखभाल व भरणपोषण के अलावा चिकित्सा एवं विश्वास की भी आवश्यकता सदा रहती है। अपीलाण्ट नेमाराम एवं मोडाराम ने भरण पोषण व सेवा संबंधी कथन अवश्य किए, परन्तु अपने कथनों के समर्थन में किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए है तथा उनके सम्पूर्ण कथनों एवं अपील के विवेचन से एक बात स्पष्ट तौर पर उभर कर सामने आई है कि उनकी माता उनके साथ नहीं रहकर उनके तीसरे भाई केवलचंद के साथ रहती है तथा उसके सिखावे में आकर सब कार्यवाही उनके विरूद्ध कर रही है तथा मातहत अदालत ने भी अपीलाण्टगण को ही भरण पोषण हतु 1500–1500 रूपये मासिक उनकी माता गैरीदेवी को अदा करने के आदेश प्रदान किए है, जो विधी सम्मत नहीं है। इस स्थिति के मध्यनजर मातहत अदालत के आदेश दिनांक 14.03.2018 प्रकरण संख्या 03/2018 में आंशिक संशोधन किया जाता है तथा गैरीदेवी के तीन पुत्र होने से तीनों पुत्रों को राशि 1500–1500 रूपये मासिक भुगतान करने के आदेश दिए जाते है। प्रार्थियां का यदि बैंक/पोस्ट ऑफिस में खाता न हो तो खाता खुलवा कर प्रति माह सभी तीनों पुत्र 1500–1500 रूपये कुल 4500/– रूपये बतौर भरण पोषण के जमा करवाये। बैंक/पोस्ट ऑफिस में उक्त राशि जमा करवा कर रसीद अपने पास बतौर सबूत रखे। वृद्धा गैरीदेवी अपने विश्वास एंव श्रद्धा के आधार पर किसी भी पुत्र के साथ रहने के लिए स्वतंत्र है। किसी भी पुत्र द्वारा आदेशों की अवहेलना की शिकायत प्राप्त होने पर उसके विरूद्ध माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत मातहत अदालत दण्डनीय कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति के साथ उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पाली से प्राप्त पत्रावली लौटाई जावें तथा अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट को निर्णय की प्रति पालनार्थ एवं सूचनार्थ भिजवाई जावें।

आदेश आज दिनांक 30/7/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश चन्द जैन)
जिला मजिस्ट्रेट, पाली
जिला मजिस्ट्रेट, पाली